

मदनलाल

बनाम

हरीराम

T.C

मु. नं.

105

वर्ष

2011

आज्ञा-पत्र

प्रतापली पोस्ट) अधि. उपपक्ष हाजिरे / ७६ म मधि.  
 उपपक्ष सुनी गेह बिहन पर मनन किया गया एवं पत्र.  
 पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया कथन  
 द्वारा कि आवेदन न पत्रक आवेदन रही। विवाह  
 भूमि में प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट है। विवाह भूमि का  
 किना बिच्छि कटकारा किने के पान करने व मोठे की  
 पधारि में परिवर्तन करने पर प्राप्ति के एक प्रमाण  
 दीरे हैं। अतः विवाह भूमि के सम्बंध में वाद कादुल्यता  
 को बहने से रोकने के लिए वादो राने वाद  
 उपपक्ष की विवाह भूमि के मोठे व डिमांड की  
 मंधास्थिति हेतु पाव-र किया जागे उचित है। अतः  
 प्राप्ति-पत्र प्राप्ति की स्वीकार किया जागा है तथा  
 उपपक्ष की प्राप्ति अर्थात् निषेधाज्ञा पाव-र  
 किया जागा है कि वे विवाह भूमि क्र. नं. ६५१,  
 ६५१, ६३३, ६३२ वक्ति गहन राधाकिशनपुरा,  
 पलवार (दस्ता) राधाकिशनपुरा तहसील जिला  
 सीकर की भूमि पर वादो राने वाद मोठे व डिमांड की  
 पधारि बनाये रखे। प्रतापली में सन सुमा  
 धीन नम्बरे ५ मठी, गाजिल फर है। निर्गम  
 आज में दस्तासरे सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी, सीकर